पत्र संख्या- आई0टी0-(2017-18)/ 755 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 09 अगस्त, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनॉक 21-07-2017 से लागू ई-वे बिल व्यवस्था के संचालन के समय उत्पन्न समस्याओं एवं शिकायतो के दृष्टिगत NIC के माध्यम से साफ्टवेयर में कतिपय संशोधन कराते हुये संशोधित ई-वे बिल व्यवस्था दिनॉक 16-08-2017 से लागू किया जाना है। व्यापारियों को किसी प्रकार की कठिनाई तथा असुविधा न होने के दृष्टिगत तथा ई-वे बिल व्यवस्था को सुगमता से लागू किये जाने हेतु आवश्यक है कि इसका स्वैच्छिक आधार पर पहले Trial कराया जाय।

अत: निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जोन के 20 करदाता जिसमें बड़े तथा छोटे सम्मिलित हों, को प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करके उनसे URL **http://comtaxtest.azurewebsites.net** पर उपलब्ध ई-वे बिल प्रक्रिया का गहन Trial कराते हुये Trial के दौरान आयी तकनीकी विषमता / समस्या को email ID-sisystemctd@gmail.com पर आज ही प्रेषित करना सुनिश्चित करें। e-Way Bill Download करने की प्रक्रिया पत्र के साथ संलग्न है। समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर के ई-मेल पर भी e-Way Bill Download करने की प्रक्रिया प्रेषित कर दी गयी है। शासन की अपेक्षानुसार इस कार्य को तत्परता से कराया जाय।

संलग्नक:- यथोपरि।

9/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- ज्वा0 कमि0(स0द0 / वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया e-Way Bill Download करने के सम्बन्ध में URL **http://comtaxtest.azurewebsites.net** पर उपलब्ध प्रक्रिया का गहन परीक्षण करते हुये समस्याओं से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय को पत्र संख्या-एस0एस0-एडी0कमि0 कैम्प- (2017-18)/ 90 / वाणिज्य कर दिनॉक 10-07-2017 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिस जोन हेतु वह नामित हैं, उस जोन से ई-वे बिल डाउन लोड करने से सम्बन्धित प्रक्रिया का गहन परीक्षण कराते हुये प्रकाश में आयी तकनीकी समस्याओं की दैनिक रिपोर्ट दिनॉक 10-08-2017 तक email ID- sisystemctd@gmail.com तथा cctup2013@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ई–वे बिल डाउनलोड करने की प्रकिया

जी0एस0टी0एन0 में माइग्रेट कर चुके व्यापारियों के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रकिया –

यदि व्यापारी वैट व्यवस्था में रजिस्टर्ड थे तथा जी0एस0टी0एन0 द्वारा प्राप्त प्रोविजनल आई0डी0 के माध्यम से GST Common Portal पर सफलतापूर्वक माइग्रेट कर लिया गया है अथवा उनके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत नया रजिस्ट्रेशन लिया गया है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये " Registration for Registered Dealer के लिंक पर क्लिक करना होगा । तदोपरान्त व्यापारियों को ऑनलाइन फार्म उपलब्ध होगा जिसमें व्यापारी द्वारा जी0एस0टिन अंकित करके सम्बंधित जोन, सम्भाग, लोकेशन सेक्टर, फर्म का नाम, पंजीयन तिथि तथा व्यापार स्थल का पता सहित समस्त Entry fields को व्यापारी द्वारा स्वतः अंकित करते हुए सम्बंधित ई–वे बिल के प्रकार को चयनित किया जायेगा ।

व्यापारी द्वारा ई–वे बिल डाउनलोड करने हेत मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 अंकित करना अनिवार्य होगा । सम्बंधित मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 पर वेरीफिकेशन हेतु One time password (OTP) प्रेषित किया जायेगा । व्यापारी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित (OTP) को अंकित कर वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर मोबाइल तथा ई–मेल को वेरीफाई करना अनिवार्य होगा । ऑनलाइन पंजीयन उक्त समस्त विवरणों के अंकन के पश्चात व्यापारी द्वारा जी0एस0टिन अथवा एस0पी0एन0 से सम्बंधित पंजीयन सार्टिफिकेट अपलोड किया जायेगा । इसके पश्चात types of forms की फील्ड से से जिस प्रकार का ई–वे बिल डाउनलोड किया जाना है उसका चयन किया जायेगा । व्यापारी द्वारा उपर्युक्त अंकित समस्त विवरणों को Submit करके व्यापारी के रजिस्टर्ड ई–मेल तथा मोबाइल पर user id तथा Password प्रेषित किया जायेगा जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा ई–वे बिल डाउनलोड किया जा सकता है ।

अपंजीकृत व्यक्तियों के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रकिया

अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये "Registration for Not Registered Dealer के लिंक पर क्लिक करना होगा । तदोपरान्त उपलब्ध आवेदन पत्र में पैन तथा आधार नम्बर अंकित करना तथा पैन व आधार नम्बर की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति अपलोड करना आवश्यक होगा तथा अपने खण्ड का चयन किया जायेगा। आवेदक के व्यापार हेतु माल लाये जाने की स्थिति में जहाँ उसके द्वारा व्यापार किया जाता है उस खण्ड का चयन किया जायेगा तथा स्वंय के उपयोग के लिए माल लाये जाने के स्थिति में अपने निवास स्थल के अधिक्षेत्र के खंड का चयन किया जायेगा। इसके पश्चात आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नम्बर , ई–मेल तथा आवेदक का नाम व पता अंकित किया जायेगा । अंकित मोबाइल नम्बर व ई–मेल पर प्राप्त OTP के द्वारा वेरीफिकेशन के उपरान्त पैनकार्ड तथा आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड करते हुए आवेदन को ऑनलाइन Submit किया जायेगा । आवेदन को ऑनलाइन Submit करने पर अपंजीकृत व्यक्ति का ऑनलाइन पंजीयन पूर्ण हो जायेगा ।
रजिस्ट्रेशन के उपरान्त वांछित प्ररूप निम्न प्रकिया के अनुसार डाउनलोड किया जायेगा––

प्ररूप ई–वे बिल 01 के डाउनलोड करने से सम्बंधी प्रकिया ई–वे बिल 01 प्रान्त बाहर से लाये जाने वाले माल के प्राप्त कर्ता द्वारा निम्न प्रकिया से डाउनलोड किया जायेगा ।

(i) पंजीकृत प्राप्तकर्ता द्वारा डाउनलोडिंग की प्रकिया

1. ई–वे बिल 01 डाउनलोड करने हेतु रजिस्ट्रेशन के उपरान्त प्राप्तकर्ता द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किये गये ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये गये पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन किया जायेगा । इसके पश्चात

व्यापारी द्वारा ई–वे बिल 01 नम्बर जनरेट करने हेतु उपलब्ध विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जायेगा । व्यापारी द्वारा विक्रेता से सम्बंधित सूचना अंकित करने के पश्चात डाटा को सेव किया जा सकता है । **देश के बाहर से आयात करने की स्थिति में जी0एस0टिन फील्ड में IMPORTWAYBILL01 अंकित किया जायेगा ।** सेव करने पर व्यापारी को टोकन नम्बर प्राप्त हो जायेगा । इस टोकन नम्बर को व्यापारी अपने विक्रेता या ट्रांसपोर्टर को भी दे सकते हैं तथा यदि वह चाहे तो स्वयं ही विक्रेता /ट्रांसपोर्टर से सम्बन्धित समस्त विवरण भर सकता हैं और यदि वह चाहे तो इस specific संव्यवहार के लिये जनरेट किये गये टोकन नम्बर को अपने विक्रेता व्यापारी या ट्रांसपोर्टर को फारवर्ड करते हुए उन्हें सम्बंधित विवरण भरने के लिये अनुरोध कर सकता हैं । यह सुनिश्चित करना माल के प्राप्त कर्ता का ही दायित्व होगा कि प्रश्नगत आयात से सम्बंधित समस्त विवरण सही–सही भरे जायें ।

2. ई–वे बिल 01 को जनरेट करने के लिये अपेक्षित विवरणों को अपलोड करने के बाद "save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात "save finally" की सुविधा उपलब्ध है । ई–वे बिल 01 जनरेट करने में होने वाली संभावित त्रुटियों को समाप्त करने हेतु "save finally" के पूर्व "Print Preview" की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, ताकि उक्त परिप्रेक्ष्य में "save finally" के पूर्व में की गयी प्रविष्टियों को अवलोकित किया जा सके जिससे त्रुटि होने की संभावना न रहे ।

3. ई–वे बिल 01 जनरेट करने के पश्चात जनरेटेड ई–वे बिल 01 के प्रिन्ट की सुविधा उपलब्ध है । कतिपय कारणों से प्रिन्ट न निकाल पाने की स्थिति में यह व्यवस्था की गयी है कि ई–वे बिल नम्बर अंकित करते हुए ऑनलाइन जनरेटेड ई–वे बिल 01 रिप्रिन्ट किया जा सकेगा ।

4. ई–वे बिल 01 की व्यवस्था में ऑनलाइन जनरेटेड ई–वे बिल 01 पर क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर की अपरिहार्यता नहीं होगी । साथ ही इस आशय का उल्लेख भी स्वतः ही जनरेट होगा कि " This E-way Bill No. is online generated and as such does not require any signature of the Recipient/supplier"

5. ई–वे बिल 01 से सम्बंधित एस0एम0एस0 या ई–वे बिल 01 की प्रिंटेड कापी , दोनों में से कोई भी प्रश्नगत माल के प्रदेश की सीमा में प्रवेश के समय से लेकर ऐसे माल के गन्तब्य पर पहुंचने तक साथ रखना अनिवार्य होगा । ई–वे बिल 01 नम्बर को प्रिंट करने की व्यवस्था कर दी गयी है । इसे प्राप्तकर्ता व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा यदि उसके द्वारा टोकन नम्बर संबंधित विक्रेता/ट्रांसपोर्टर को प्रेषित कर दिया गया है, तो ऐसे विक्रेता या ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रिंट किया जा सकता है । प्राप्तकर्ता व्यापारी द्वारा भी इसका स्वयं प्रिंट आउट लेकर अपने सम्बंधित ट्रांसपोर्टर को इसे प्रेषित किया जा सकता है ।

6. यदि किसी एक विक्रेता से किसी प्राप्त कर्ता द्वारा Bulk Purchase की जा रही है तब ऐसा प्राप्तकर्ता जैसे ही उस विक्रेता व्यापारी के नाम की प्रविष्टि सहित अपेक्षित ई–वे बिल 01 की संख्या का उल्लेख करेगा तो उसे उतने ही टोकन उस विक्रेता से की जाने वाली खरीद के लिये जनरेट हो जायेंगें और वह तदनुसार इनसे Bulk Purchase कर सकेगा । प्रत्येक डिमाण्ड पर अधिकतम 100 टोकन जनरेट किये जा सकेंगे जिसकी वैधता टोकन जनरेट करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन तक होगी । जिस टोकन का 30 दिन की अवधि में उपयोग नहीं होगा, वह स्वयंमेव निष्प्रयोज्य हो जायेगा ।

ई–वे बिल 01 की उक्त व्यवस्था हेतु **Bulk Purchase** का अभिप्राय ऐसी खरीद से होगा जो एक बिल/इनवाइस से की गयी हो अथवा देश के बाहर से इम्पोर्ट की स्थिति में एक बिल ऑफ एन्ट्री से की गयी है तथा इससे आच्छादित माल को अग्रेत्तर अनेक वाहनों से गन्तब्य तक प्रेषित किया जाना हो ।

Bulk Purchase के सम्बंध मे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब खरीद देश के बाहर से बिल ऑफ एन्ट्री द्वारा अथवा बिल/इनवाइस से रेलवे द्वारा आयात करते हुए अग्रेत्तर विभिन्न वाहनों से गन्तब्य के लिये परिवहित की जानी हो, उस स्थिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर पहले प्रश्नगत बिल ऑफ एनट्री अथवा बिल/इनवाइस /आर0आर0 जैसी भी स्थिति हो, उसका उल्लेख सम्बंधित माल के कुल परिमाण सहित सम्बंधित व्यापारी को करना होगा । तत्पश्चात मल्टीपल वाहनों के विकल्प में अपेक्षित वाहनों की संख्या का उल्लेख किया जायेगा । इसके पश्चात जिस वाहन से जिस भी परिमाण का माल परिवहित किया जाना है, उस परिमाण का उल्लेख किया जाएगा । इस प्रकार उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक ई–वे बिल नम्बर जनरेट हो जायेंगे जिससे ऐसे माल का परिवहन किया जायेगा ।

जहां पर प्रदेश के बाहर से एक ही वाहन में कई ई–वे बिल 01 नम्बर से संबंधित माल का परिवहन किया जाना है, ऐसे सभी संव्यवहारों के संबंध में "ई–वे बिल 01 नम्बर" जेनरेट करने की कार्यवाही दो भागों में की जाएगी। पहले भाग में प्रश्नगत आयात किए जाने वाले माल की खरीद के विवरण की आनलाइन एन्ट्री करनी होगी। ऐसे विवरणों की प्रविष्टि करते ही 14 डिजिट का एक **'अन्तरिम नम्बर'** जनरेट हो जाएगा। व्यापारी इस **'अन्तरिम नम्बर'** को संबंधित ट्रांसपोर्टर को भी दे सकता है। ऐसा ट्रांसपोर्टर जब ऐसे माल को संबंधित क्रेता को प्रेषण किए जाने के लिए वाहन में लोड करने की स्थिति में होता है, तब वह ऐसे माल के उपर्युक्त **'अन्तरिम नम्बर'** की एन्ट्री करते हुए इनके संबंध में केवल उस वाहन संख्या की ऑनलाइन जैसे ही प्रविष्टि करेगा तब ऐसे समस्त यूनीक नम्बरों के लिए ई–वे बिल 01 नम्बर स्वतः ही जेनरेट हो जायेंगे, जिनके साथ प्रश्नगत माल का आयात प्रदेश में किया जा सकेगा। **यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश में आयात के लिए इन ई–वे बिल 01 नम्बरों की अपरिहार्यता पूर्ववत होगी।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार जनरेट किये गये ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि की गणना ई–वे बिल 01 नम्बर के जनरेशन के दिनांक से आंकलित की जायेगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्राप्तकर्ताओं को फुल ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट तथा आंशिक ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट के **Option** में जाकर जिस प्रकार का आयात करना है, उसका चयन करना होगा। फुल लोड ट्रक के संबंध में पूर्व प्रस्तरों में जो व्यवस्था अवधारित की गयी है, वह आंशिक ट्रक लोड कन्साइन्मेन्ट यथा–परचून से संबंधित माल तथा विभिन्न स्थलों से माल को संग्रहित करते हुए इसके आयात के संबंध में भी लागू होगी। फुल लोड ट्रक कन्साइन्मेन्ट के आयात के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में प्रचलित व्यवस्था तदनुसार लागू रहेगी।

"ई–वे बिल 01 व्यवस्था" में वाहन पल्टी के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है कि प्रिन्टेड ई–वे बिल 01 के आयात के संबंध में वाहन के परिवर्तित होने की दशा में ई–वे बिल नम्बर जनरेट होने के उपरान्त ऐसे आन लाइन जनरेटिड ई–वे बिल 01 की तरह प्राप्तकर्ता द्वारा परिवर्तित वाहन से संबंधित प्रविष्टि की जायेंगी और माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ–साथ पल्टी से संबंधित प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे आयात के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे।

प्रान्त बाहर से आयात किए जाने के संबंध में ऑनलाइन व्यवस्था में जेनरेट किए गए "ई–वे बिल 01 नम्बर" की वैधता की अवधि निम्न तालिका के अनुसार रहेगी।

(क) सड़क मार्ग से आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जनरेटेड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–300 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	301–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 10 दिन
5	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 20 दिन

(ख) रेलवे के माध्यम से माल के आयात करने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जनरेटेड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 10 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु जारी आर0आर0 (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 23 दिन

(ग) देश के किसी स्थान से वायुयान के माध्यम से माल का आयात किए जाने की स्थिति में:

देश के किसी स्थान से वायुयान के माध्यम से परिवहन हेतु बुक कराए जाने की दिनांक से "ई–वे बिल 01 नम्बर" की वैधता की अवधि अधिकतम **03 दिन** की रहेगी।

(घ) कोरियर के माध्यम से आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जनरेटेड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 05 दिन

4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 07 दिन

(च) स्वयं अपने साथ माल का आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जनरेटेड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

(ग) व्हीकल का स्वयं ही आयात किए जाने की स्थिति में:

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जनरेटेड ई–वे बिल 01 नम्बर की वैधता की अवधि
1	0–100 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24 घंटे)
2	101–500 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501–1000 कि0मी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि0मी0 से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

यदि किसी अपरिहार्यता के परिणामस्वरूप किसी स्लैब की उपर्युक्तानुसार वर्णित समयावधि प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व ही समाप्त हो जाती है अथवा प्रदेश की सीमा में पहुॅचने के बाद अवशेष अवधि इतनी नहीं रह जाती है कि प्रशनगत माल उस अवशेष अवधि में प्रदेश के गन्तव्य में पहुॅचना संभव न हो, तो इन परिस्थितियों में ऐसा परिवहनकर्ता सीमा के सन्निकट क्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के समक्ष संबंधित कारणों के साक्ष्यों सहित समयावधि को बढ़ाए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा, जिस सीमाक्षेत्र में एक से अधिक ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) तैनात हैं वहां यह प्रार्थना पत्र ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) संभाग–ए के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के अनुवर्ती दिन तक प्रत्येक दशा में ऐसे प्रकरण में समयावधि बढ़ाने हेतु कारण सहित आदेश निर्गत किया जाएगा जिसकी प्रति आवेदनकर्ता/परिवहनकर्ता को प्राप्त कराई जाएगी। यदि कोई संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) उक्त परिप्रेक्ष्य में समयावधि बढ़ाए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखेंगे कि प्रदेश की किसी भी सीमा से प्रदेश के किसी भी गन्तव्य तक पहुॅचने में सामान्यता अधिकतम 04 दिन का समय लगता है।

यदि माल के आयात के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश के उपरान्त वाहन खराब होता है तो ऐसी अपरिहार्यता की स्थिति में संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा वाहन बदलने के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र निकटस्थ वाणिज्य कर कार्यालय के

प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके द्वारा परिवहनकर्ता के प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त तथा यथाआवश्यक वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाएगा।

देश के बाहर से माल के आयात करने की दशा में बिल आफ इन्ट्री के स्थान पर Custom Clearance की तिथि से "ई–वे बिल व्यवस्था" में "ई–वे बिल 01 नम्बर" की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी।

वायुयान से आयात किए जाने की दशा में इंगित कठिनाई के दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाता है कि एयरपोर्ट से निकासी की तिथि से ही ई–वे बिल 01 की वैधता की अवधि आंकलित की जाएगी। आयात कर्ता को उपर्युक्त निकासी की तिथियों के साक्ष्य माल के आयात के प्रपत्रों में रखना अनिवार्य होगा।

यदि आयतित माल के गन्तव्य एक से अधिक है तो प्रत्येक गन्तव्य के लिए पृथक–पृथक "ई–वे बिल 01 नम्बर" उक्त प्रकिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।

प्रत्येक प्रान्त बाहर के विक्रेता के लिए प्रान्त के प्राप्तकर्ता द्वारा एक "ई–वे बिल 01 नम्बर" जेनरेट किया जाएगा अर्थात यदि प्रान्त बाहर के विक्रेता एक से अधिक हैं तो ऐसे सभी विक्रेताओं के लिए उतने ही पृथक–पृथक ई–वे बिल 01 नम्बर ऐसे प्राप्तकर्ता को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट करने होंगे।

यदि प्रान्त बाहर के एक ही विक्रेता के एक से अधिक बिल हैं, तो उनके लिए एक ही "ई–वे बिल 01 नम्बर" आवश्यक होगा तथा इनकी प्रविष्टियॉ बिल/कैशमीमो/इन्वाइस/चालान नम्बर व दिनांक के आगे की जायेंगी।

यदि एक से अधिक विक्रेता के बिलों के माल का आयात किया जा रहा है तो प्रत्येक विक्रेता के संबंध में पृथक–पृथक "ई–वे बिल 01 नम्बर" उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा।

(ii) अपंजीकृत प्राप्त कर्ताओं द्वारा फार्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया

ऐसे अपंजीकृत व्यक्ति जिनके द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात फार्म डाउनलोड करने के लिये विभागीय ई–वे बिल पेज पर उपलब्ध ई–वे बिल –(01, 02, 03) को चयनित कर Click to submit पर click किया जायेगा । इसके पश्चात ई–वे बिल 01 के लॉगिन पेज पर unregistered dealer के निर्गत उपलब्ध फार्म Entry Page पर क्लिक किया जायेगा । व्यापारी द्वारा अपना पैन अंकित करने पर आवेदक का नाम, मोबाइल नम्बर, ई–मेल, आधार पर आवेदक का पता स्वतः ही उपलब्ध हो जायेगा । व्यापारी को सम्बंधित सम्व्यवहार के उददेश्य (व्यक्तिगत उपभोग हेतु/व्यापार हेतु) चयनित किया जायेगा । इसके पश्चात आवेदक द्वारा परिवहन किये जाने वाले माल के विवरण, माल का वजन /परिमाप, मात्रा, माल का मूल्य, इनवाइस नम्बर, इनवाइस दिनांक, विक्रेता का नाम तथा पता, आवेदक के स्थल से सम्बंधित कर निर्धारण कार्यालय का चयन किया जायेगा । चयन के पश्चात save form के बटन पर क्लिक करके आवेदन को ऑनलाइन सब्मिट करने पर जनरेट हुए फार्म का सीरियल नम्बर उपलब्ध हो जायेगा । फार्म का प्रिन्ट निकालने के लिये अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा फार्म डाउनलोड पर क्लिक करके फार्म का सीरियल नम्बर अंकित करते हुए Submit किया जायेगा । इसके प्श्चात रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर प्राप्त otp को अंकित कर ई–वे बिल का प्रिन्ट निकाला जा सकता है ।

ई–वे बिल 02 डाउन लोड करने की प्रक्रिया –

ई–वे 02 प्रान्त के भीतर अथवा प्रान्त के भीतर किसी स्थान से प्रान्त के बाहर माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्न प्रकिया द्वारा डाउनलोड किया जायेगाः

1. माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किये गये ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये गये पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन किया जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा ई–वे बिल 02 नम्बर जनरेट करने हेतु सम्बन्धित विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जायेगा। व्यापारी द्वारा विक्रेता से सम्बंधित सूचना तथा सम्बन्धित माल के विवरण यथा– इनवाइस नम्बर, दिनॉक, माल का विवरण, वजन, परिमाप, मात्रा को अकित किया जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा सम्बन्धित वाहन संख्या को अंकित कर सेव करने पर यूनिक ई–वे बिल 02 नम्बर जनरेट हो जायेगा। **उल्लेखनीय है कि अपंजीकृत व्यापारी के case में जी0एस0टिन के स्थान पर 009UNREGESTERED अंकित किया जायेगा ।**

2. यदि किसी व्यापारी को मुख्य व्यापार स्थल के साथ अपनी शाखाओं से भी ई–वे बिल 02 जनरेट करना है तो व्यापारी को लागिन करने के पश्चात मे मीनू में उपलब्ध Add Branches / Depot के लिंक के माध्यम से सन्दर्भित शाखाओं व डिपो को जोड़ सकते हैं । ऐसे व्यापारी द्वारा लागिन स्क्रीन में सम्बन्धित शाखा का चयन करके शाखा हेतु उपलब्ध कराये गये यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड के माध्यम से लागिन किया जा सकेगा। यदि किसी ब्रांच यूजर में परिवर्तन होता है तो मुख्य व्यापार स्थल के यूजर के माध्यम से उक्त ब्रांच के यूजर को डिलीट किया जा सकता है ।

"ई–वे बिल 02 व्यवस्था" में वाहन पल्टी के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है । माल के साथ रखे जाने वाले प्रपत्रों में मूल वाहन से आयात किये जाने से संबंधित जी0आर0 आदि के साथ–साथ पल्टी से संबंधित प्रपत्र भी रखते हुए अग्रेतर परिवहन किया जाएगा तथा यह युक्तिसंगत कारण भी इन प्रपत्रों में रखे जायेंगे जिनके फलस्वरूप वाहन पल्टी किया गया। जांच अधिकारी उपर्युक्त तथ्यों के संतोषजनक स्थिति में ऐसे परिवहन के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय लेंगे। ई–वे बिल 02 की वैधता जनरेशन के समय से 24 घण्टे की होगी तथा इस अवधि के दौरान ही प्रान्त की सीमाओं में माल का परिवहन किया जा सकेगा ।

<u>ई–वे बिल 03 डाउन लोड करने की प्रकिया</u>

आनलाइन शापिंग अथवा ई–कामर्स द्वारा क्रय या आर्डर कर व्यवसाय के अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिये स्वयं ई–कामर्स आपरेटर द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी परिवाहक/कोरियर /परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / मालवाहक के माध्यम से परिवहन करने पर ई–वे बिल 03 निम्न प्रकिया से डाउन लोड किया जायेगा ।

व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किये गये ई–मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किये गये पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन किया जायेगा । माल के परिवहन से सम्बन्धित विवरण को अंकित करने के लिये परिवहन कर्ता अपने मैन्यू में Excel Sheet Download के विकल्प पर क्लिक करके आफ लाइन Excel Sheet का Download करेगा। Excel Sheet में अपना समस्त विवरण फीड कर परिवहन कर्ता द्वारा उक्त Excel Sheet को लागिन करके अपलोडिंग के विकल्प से अपलोड किया जायेगा। इसके पश्चात " Generate e-Way Bill 03" पर क्लिक करके ई–वे बिल 03 डाउनलोड किया जा सकेगा।